अपील सूचना अधिकार संख्या 76/2019 (RCMS 2019/00222) श्री विजय कुमार जुनेजा, सेवानिवृत पटवारी, मकान नंत्र 44, गली नं. 8, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर–335001 **बनाम** लोक सूचना कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय कुमार जुनेजा स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना कार्यालय जिला कलक्टर(भू–अभिलेख), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने सम्पूर्ण सूचनाएं दिलाए जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार जुनेजा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> विजय कुमार जुनेजा, सेवानिवृत पटवारी की पदौन्नति समिति वर्ष 2017–18 द्वक्षरा दिनांक 02.07.2018 को जारी वरिष्ठता सूची के उपरान्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा श्री विजय कुमार जुनेजा पुत्र श्री सोहन के वरिष्ठा क्रमांक 117 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं संतोषजनक सेवा के प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 06.07.2019 एवं पदौन्नति समिति की रिव्यु बैठक दिनांक 22.07.2019 तक अपने अधीनस्थ (सम्बन्धित अधिकारी) अधिकारियों से किये गये पत्र व्यवहार की प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक एफ 9( )भू.अ./लो. सू.अ./2018/4471 दिनांक 22.09.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिक कार्य मूल्यांकन मूल ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाए हुए है। अतः रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतिलिपि दी जानी संभव नहीं है। आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि आपको किस क्रमांक दिनांक के पत्र की आवश्यकता है। अतः आप पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित हो। पत्रावली व रिकॉर्ड का अवलोकन कर लेवें एवं लिखित में अवगत करावें कि आपको किस पत्र क्रमांक, दिनांक के पत्र की आवश्यकता है, ताकि आपको वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी
> प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
> कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त पत्र से वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सूचित कर दिया है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य हैं परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित उपलब्ध रिकॉर्ड का उसे अवलोकन करवा देवें और चाही गई सूचना सूचना का अधिनियम के नियमानुसार देय सूचनाएं उसे उपलब्ध करवा दे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर